

-: आदेश :-

श्री सुगन राम पासवान पिता स्व० जानकी दुसाध,
ग्राम-कटकमदाग, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग से प्राप्त
आवेदन-पत्र एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा समर्पित
प्रतिवेदन का अवलोकन किया। उक्त अनुसार आवेदक के नाम से
प्रश्नगत भूमि अंचल-कटकमदाग ग्राम-कटकमदाग, थाना संख्या-87,
खाता संख्या-137 प्लॉट संख्या-149, 210, 3311, 3310
रकबा-0.08 डी०, 0.05 डी०, 0.04 डी०, 0.06 डी० कुल
रकबा-0.23 डी० भूमि का कोई जमाबंदी कायम नहीं है। आवेदन
अनुसार उक्त भूमि का मॉग उनके माँ बिसनी देवी के नाम से चल
रहा है, किन्तु उनके द्वारा पारिवारिक संपत्ति के बँटवारा विलेख प्रस्तुत
नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि किस हिस्सेदार को
कितनी भूमि का हक प्राप्त है एवं पूर्व में उनके द्वारा कितनी भूमि का
निबंधन किया गया है। प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर अन्य हिस्सेदारों का
सहमति पत्र भी प्राप्त नहीं है। साथ ही समर्पित वंशावली किसी
सरकारी कर्मी / पदाधिकारी से सत्यापित नहीं है।

विभागीय पत्रांक 2300 दिनांक 25.06.2019 द्वारा
पैतृक / पारिवारिक सम्पत्ति के बँटवारा विलेख के निबंधन पर क्रमशः
निबंधन शुल्क 50/- रुपये एवं मुद्रांक शुल्क 50/- रुपये निर्धारित
एवं अत्यंत कम करते हुए राजस्व अभिलेखों को अद्यतन एवं खतियान
रेयत के उत्तराधिकारियों को विधिवत् स्वामित्व प्रदान करने पर जोर
दिया गया है।

अतः उक्त आलोक में आदेश पारित किया जाता है कि
आवेदक निबंधित बँटवारा नामा / उत्तराधिकारी नामान्तरण के साथ
आवेदन-पत्र दाखिल करेंगे। तदनुसार अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की
जाती है।

अपस समाहता, हजारीबाग।